**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2973**
**दिनांक 18 मार्च, 2025/ 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए**

**अवैध आव्रजन और सीमा सुरक्षा**

**†2973. श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**अवैध आव्रजन और सीमा सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री नित्यानंद राय)**

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध आव्रजन और सीमा सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत सरकार ने अपनी सीमा सुरक्षा बलों के माध्यम से अवैध आव्रजन से निपटने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

- उन्नत सीमा निगरानी: सीसीटीवी, ड्रोन, स्वचालित संख्या प्लेट पहचान प्रणाली जैसे उन्नत निगरानी उपकरणों की तैनाती।

- सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना: सुरक्षा बलों की सतर्कता और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए बाड़ लगाने, सीमा चौकियों, सड़कों और हेलीपैड का विकास।

- नियमित गश्त और चेकपॉइंट: अवैध गतिविधियों की निगरानी के लिए गश्त लगाने, नाका पॉइंट्स और मोबाइल टीमों के माध्यम से क्षेत्र का वर्चस्व तेज किया गया है ।

- आसूचना और समन्वय: स्थापित प्लेटफार्मों के माध्यम से वास्तविक समय की सूचना साझा करने के लिए आसूचना एजेंसियों और अन्य संगठनों के बीच घनिष्ठ सहयोग।

- विनियमित सीमा पार आवाजाही : लोगों और सामानों की नियंत्रित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नामित प्रविष्टि / निकास बिंदुओं की पहचान और प्रबंधन।

**<u>लोक सभा अता.प्र.सं. 2973 दिनांक 18.03.2025</u>**

- <u>सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता</u>: सीमावर्ती निवासियों को शिक्षित करने और उन्हें अवैध गतिविधियों में सहायता करने से हतोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम।
- <u>सीमा पार सहयोग</u>: प्रवर्तन उपायों को मजबूत करने के लिए बैठकों और संयुक्त पहलों के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ समन्वय।

******